


आदेश

22.6.17


अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद आवेदक के आवेदन पर प्रारम्भ किया गया है। आवेदक दिनांक-22.04.14 से लगातार अनुपस्थित रह रहे हैं। इनके द्वारा कोई पैरवी नहीं किया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद में आवेदक का कोई अभिरुची नहीं है।

अतः वाद की कार्रवाई बिना कोई प्रभावी आदेश के समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं शंसोधित।

 22/6/17

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
कोडरमा।

 22/6/17

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
कोडरमा।